न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 135 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
धीरेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र शर्मा जाति सुथार निवासी डी–191, कमला नेहरू नगर, प्रथम विस्तार, अन्ध विद्यालय के पास, जोधपुर	1. वीरेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र शर्मा जाति जागिड़ सुथार निवासी डी–191 कमला नेहरू नगर, प्रथम विस्तार, अन्ध विद्यालय के पास, जोधपुर 2. नरेन्द्र कुमार पुत्र मुकनदास के कायम मुकाम 2/1निर्मला पत्नी नरेन्द्र कुमार 2/2नवनिधिन्द्र पुत्र नरेन्द्र कुमार जाति सुथार निवासी मकान नम्बर 109 बलदेव नगर, मुस्लिम स्कूल के पीछे, जोधपुर शहर 3. मोहनलाल पुत्र दीपचंद के कायम मुकाम 3/1अरविंद जांगिड़ पुत्र मोहनलाल 3/2दिगविजय जांगिड़ पुत्र मोहनलाल 3/3कुमारपाल जांगिड़ पुत्र मोहनलाल जाति सुथार निवासी रेल्वे फुंआ नम्बर 3 के सामने, विशाला रोड़ बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर 3/4सविता जांगिड़ पत्नी कैलाश पुत्री मोहनलाल निवासी सुथरपाड़ा जिला जैसलमेर 4. बंशीलाल पुत्र दीपचंद जाति सुथार निवासी लीलड़िया धोरा मेवाराम जैन विधायक के पीछे, बाड़मेर शहर 5. सवाईराम पुत्र बलवन्ताराम 6. तारीदेवी पत्नी बलवन्ताराम के कायम मुकाम 6/1सवाई पुत्र बंलवंताराम जाति सुथार निवासी सरदारपुरा ब्रहम खत्रियों के नौहरे के पास, बाड़मेर शहर जिला बाड़मेर 7. जगदीश पुत्र मंगला 8. नरेन्द्र कुमार पुत्र अर्जुनराम 9. किशनलाल पुत्र अर्जुनराम 10. सुरेश कुमार पुत्र अर्जुनराम 11. श्रीमती कमला पत्नी अर्जुनराम जाति सुथार निवासी सरदारपुरा ब्रहम खत्रियों के नौहरे के पास, बाड़मेर शहर जिला बाड़मेर 12. रामूदेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाड़मेर 13. हरचन्दराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी माधारसर तहसील बायतु 14. धर्माराम पुत्र खेताराम जाति सुथार निवासी नागाणा, मूढो की ढाणी तहसील बाड़मेर 15. बिन्दु देवी पत्नी दलाराम जाति जाट निवासी महावीर नगर बाड़मेर 16. मानाराम पुत्र हुकमाराम जाति कुमावत निवासी थूंम्बली तहसील शिव 17. बाबूदेवी पत्नी पदमाराम जाति जाट निवासी जीयाणियों की ढाणी काश्मीर 18. रेवताराम पुत्र खेताराम जाति सुथार निवासी सर का पार बांदरा 19. देवाराम पुत्र खेताराम 20. गोरखाराम पुत्र खेताराम जाति सुथार निवासी नागाणा मुढो की ढाणी 21. पेमीदेवी पत्नी बालाराम जाति कुमावत निवासी हेमानाडा, निम्बला 22. राणाराम पुत्र वीरमाराम जाति कुमावत निवासी भादरेश गांधव तहसील बाड़मेर 23. सादूलाराम पुत्र हुकमाराम जाति कुमावत निवासी भादरेश हाल निवासी हन्द्रा कॉलोनी बाड़मेर 24. कमलादेवी पत्नी नरसिंह जाति जाट निवासी खाबड़िया, चौखला तहसील बायतु 25. गोपाराम पुत्र हुकमाराम जाति कुमावत निवासी मडालिया मुंगेरिया तहसील शिव 26. श्यामसुन्दर पुत्र हीरालाल कायम मुकाम 26/1 धीरज पुत्र श्यामसुन्दर 27. लक्ष्मीनारायण पुत्र हीरालाल कायम मुकाम 27/1श्रीमती ज्योत्सना पत्नी लक्ष्मीनारायण 27/2हिमांशु पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण निवासी जोशियों का उपरलाल वास बाड़मेर 28. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 115/2015 बअनवान धीरेन्द्र बनाम विरेन्द्र वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बालाराम गोदारा रेस्पोडेंट संख्या 11, 17, 21 की ओर से।
3. वकील श्री कुमार कौशल जोशी रेस्पोडेंटस संख्या 16, 23, 25 की ओर से।
4. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पोडेंटस संख्या 07 से 11 की ओर से।
5. वकील श्री महेन्द्र जोशी रेस्पोडेंटस संख्या 26 व 27 के कायम मुकाम की ओर से।
6. वकील श्री पन्नाराम जांगिड़ रेस्पोडेंटस संख्या 2/2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—04.03.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस व उतरदातागण संख्या 01 से 04 का परिवार हिन्दू होने से हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से प्रशासित है। अपीलांटस व उतरदातागण के पूर्वज गुणेशाराम फौत हो गये, उनके दो पुत्र दीपचन्द व मुकनदास थे। दीपचन्द व मुकनदास दोनों फौत हो गये हैं। दीपचन्द के पुत्र मोहनलाल का जन्म करीबन सन 1951 में हुआ और उसके दूसरे पुत्र बंशीलाल का जन्म करीबन सन 1953 में हुआ। अपीलांटस व उतरदातागण संख्या 01 से 04 के पूर्वज बांकाराम उर्फ बांकों के समय की भूमि सेटलमेंट के ग्राम बाड़मेर वर्तमान राजस्व ग्राम उदयनगर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 170 रकबा 62.02 बीघा, खसरा संख्या 169 रकबा 02 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी कुल रकबा 62.04 बीघा भूमि आई हुई हैं। उपरोक्त खसरों की भूमि जागीरी भूमि होने से जागीरदारों ने अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 04 के पूर्वजों बांकाराम आदि को पसायतेदार के रूप में उक्त भूमि संयुक्त परिवार के लिए दी गई थी और पूर्वज बांकाराम का सेटलमेंट के समय स्वर्गवास होने की वजह से उक्त खसरों की भूमि का पर्चा लगान संयुक्त परिवार के कर्ता व मुखिया उनके पुत्र गुणेशाराम वल्द बांकाराम जाति सुथार निवासी बाड़मेर होने से उन्होंने उक्त खसरों की भूमि का अपने अकेले के नाम से पर्चा लगान जारी करवा लिया, जबकि उनके दो पुत्र दीपचन्द व मुकनदास भी जीवित होने से उनके साथ काबिज थे और पर्चा लगान भी उनके पुत्र दीपचन्द व मुकनदास के नाम से जारी होना चाहिए था। अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 04 के परदादा गुणेशाराम ने बलवन्ता, मंगला पिसरान भानाराम जाति सुथार निवासी बाड़मेर को अपनी अनुमति से सार संभाल एवं काश्त करने के लिये उपरोक्त खसरों की भूमि दी थी। अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 04 के पूर्वज गुणेशाराम अनपढ व वृद्ध व्यक्ति थे। उक्त स्थिति का लाभ उठाकर उन्होंने बाद में फर्जी दस्तावेज बनाकर उसके आधार पर उक्त खसरों की भूमि

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपनी खातेदारी में राजस्व कर्मचारियों से साजिश व मिलावट कर दर्ज करवा दी। अपीलांटस व उत्तरदातागण संख्या 01 से 04 के परदादा ने उक्त खसरों की भूमि का हस्तांतरण बलवंता व मंगला को कभी नहीं किया और न ही उक्त खसरों की भूमि का हस्तान्तरण बलवंता व मंगला को कभी नहीं किया और न ही उक्त भूमि परिवार के लिए हस्तांतरण आवश्यक था और न ही उक्त भूमि परिवार की आवश्यकता व लाभ के लिए हस्तांतरण की गई थी। बलवंता व मंगला ने फर्जी बेचान एवं दस्तावेज बना कर उक्त खसरों की भूमि अपने नाम करवाने का अपीलांट के पूर्वज गुणेशाजी, दादा व पिता और अपीलांट को इतने वर्षों तक ज्ञान नहीं हुआ। उक्त खसरों की भूमि का तथाकथित बेचान दिनांक 29.06.1965 रजिस्टर्ड दिनांक 02.07.1965 को बलवंता व मंगला को करना बतलाया गया है। उक्त तथाकथित बेचान दिनांक 29.06.1965 को फर्जी होने के कारण उक्त बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गुणेशाराम जी के जीवन काल में उक्त खरीददारों ने अपना नाम उसी समय राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं करवाया। बल्कि करीबन 12–13 वर्षों के पश्चात एवं गुणेशारामजी के स्वर्गवास सन 1974 में होने के पश्चात एकतरफा कार्यवाही करके गुप्त रूप से नामांतकरण संख्या 931 दिनांक 23.10.1977 के जरिये नाम दर्ज करवाया गया। अपीलांटस उपरोक्त खसरों की भूमि अपीलांटस अपने अकेले के नाम आवगी खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। उपरोक्त आशय का वाद अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अपीलांट ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाना पूर्ति करने के उद्देश्य से मनमाने ढंग से दानों पक्षों की अनपुस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के वाद के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई जबावदावा प्रस्तुत नहीं हुआ और अधिकतर प्रतिवादीगण ने कोई पैरवी ही नहीं की। उभयपक्ष द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज बांकाराम की थी जिसके पक्षकारान वंशज है इसलिए निर्विवाद रूप से वादग्रस्त भूमि में उनका प्रत्येक का हिस्सा पैतृक संपति के कारण कानूनी रूप से बनता है। अपीलांटस व उतरदातागण संख्या 01 से 04 के पूर्वज बांकाराम उर्फ बांकों के समय की भूमि सेटलमेंट के ग्राम

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बाड़मेर वर्तमान राजस्व ग्राम उदयनगर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 170 रकबा 62.02 बीघा, खसरा संख्या 169 रकबा 02 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी कुल रकबा 62.04 बीघा भूमि आई हुई हैं। उपरोक्त खसरों की भूमि जागीरी भूमि होने से जागीरदारों ने अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 04 के पूर्वजों बांकाराम आदि को पसायतेदार के रूप में उक्त भूमि संयुक्त परिवार के लिए दी गई थी और पूर्वज बांकाराम का सेटलमेंट के समय स्वर्गवास होने की वजह से उक्त खसरों की भूमि का पर्चा लगान संयुक्त परिवार के कर्ता व मुखिया उनके पुत्र गुणेशाराम वल्द बांकाराम जाति सुथार निवासी बाड़मेर होने से उन्होंने उक्त खसरों की भूमि का अपने अकेले के नाम से पर्चा लगान जारी करवा लिया, जबकि उनके दो पुत्र दीपचन्द व मुकनदास भी जीवित होने से उनके साथ काबिज थे और पर्चा लगान भी उनके पुत्र दीपचन्द व मुकनदास के नाम से जारी होना चाहिए था। अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 04 के परदादा गुणेशाराम ने बलवन्ता, मंगला पिसरान भानाराम जाति सुथार निवासी बाड़मेर को अपनी अनुमति से सार संभाल एवं काश्त करने के लिये उपरोक्त खसरों की भूमि दी थी। अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 04 के पूर्वज गुणेशाराम अनपढ व वृद्ध व्यक्ति थे। उक्त स्थिति का लाभ उठाकर उन्होंने बाद में फर्जी दस्तावेज बनाकर उसके आधार पर उक्त खसरों की भूमि अपनी खातेदारी में राजस्व कर्मचारियों से साजिश व मिलावट कर दर्ज करवा दी। अपीलांटस व उतरदातागण संख्या 01 से 04 के परदादा ने उक्त खसरों की भूमि का हस्तांतरण बलवंता व मंगला को कभी नहीं किया और न ही उक्त खसरों की भूमि का हस्तान्तरण बलवंता व मंगला को कभी नहीं किया और न ही उक्त भूमि परिवार के लिए हस्तांतरण आवश्यक था और न ही उक्त भूमि परिवार की आवश्यकता व लाभ के लिए हस्तांतरण की गई थी। बलवंता व मंगला ने फर्जी बेचान एवं दस्तावेज बना कर उक्त खसरों की भूमि अपने नाम करवाने का अपीलांट के पूर्वज गुणेशाजी, दादा व पिता और अपीलांट को इतने वर्षो तक ज्ञान नहीं हुआ। उक्त खसरों की भूमि का तथाकथित बेचान दिनांक 29.06.1965 रजिस्टर्ड दिनांक 02.07.1965 को बलवंता व मंगला को करना बतलाया गया है। उक्त तथाकथित बेचान दिनांक 29.06.1965 को फर्जी होने के कारण उक्त बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गुणेशाराम जी के जीवन काल में उक्त खरीददारों ने अपना नाम उसी समय राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं करवाया। बल्कि करीबन 12–13 वर्षों के पश्चात एवं गुणेशारामजी के स्वर्गवास सन 1974 में होने के पश्चात एकतरफा कार्यवाही करके गुप्त रूप से नामांतकरण संख्या 931 दिनांक 23.10.1977 के जरिये नाम दर्ज करवाया गया। अपीलांटस उपरोक्त खसरों की भूमि अपीलांटस अपने अकेले के नाम आवगी खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उक्त बेचान प्रारंभ से ही कानूनी रूप से अवैध व शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मुख्य रूप से रजिस्टर्ड बेचान को गलत, अवैधानिक व झूठा मानते हुए तथ्या बेचान को शून्य नहीं मानकर शून्यकरणीय मानते हुए हस्तगत प्रकरण को सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय मानते हुए हसतगत प्रकरण को सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय मानते हुए खारिज किया है। ऐसा मत अपनाने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक व कानूनी भूल की है क्योंकि क्षेत्राधिकार का प्रश्न मिश्रित तथ्य व कानून का प्रश्न है। इस वजह से बिना साक्ष्य व सबूत के और अभिवचनों को साक्ष्य से साबित किये बिना ऐसा बिंदु मनमाने ढंग से निर्णित नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट में पारित की गई। जबकि कैम्प कोर्ट में केवल मात्र लोक अदालत की भावना से राजीनामा के प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस के पूर्वज गुणेशाराम के नाम से अपीलाधीन आराजी वक्त सेटलमेंट दर्ज की गई। अपीलाधीन आराजी का लगान भर कर गुणेशाराम द्वारा राज्य सरकार से भूमि को प्राप्त किया गया। अपीलाधीन आराजी गुणेशाराम की स्वअर्जित भूमि थी। गुणेशाराम ने अपने जीवन काल में ही हम उतरदातागण के पूर्वज बलवंता व मंगला को जरिये बेचान दिनांक 29.06.1965 रजिस्टर्ड दिनांक 02.07.1965 को कर दी गई। अपीलाधीन आराजी को सप्रतिफल राशि रूपये 400/– देकर उतरदातागण द्वारा भूमि को क्रय की गई। वर्तमान में जमीनों की कीमतें बढने के कारण अपीलांटस द्वारा हस्तगत वाद पेश किया गया। गुणेशारामं को अपनी स्वअर्जित संपति को बेचान करने का पूर्ण अधिकार था। उतरदातागण एक सदभावी क्रेता है जिसे नाहक तंग एवं परेशान करने की नियत से हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे पेश करने का अपीलांटस को कोई अधिकार नहीं है। उतरदातागण के पूर्वजों के पक्ष में किये गये बेचान को किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के प्रभाव में रहते अपीलांट/वादीगण राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की बाद समुचित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सुनवाई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोडेंटस को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट में अपीलांटस की अनपुस्थिति में पारित किया गया। अपीलांटस दिनांक 29.08.2016 को बाड़मेर आया ओर पता किया तो उपरोक्त विवादित निर्णय व डिक्री होने का ज्ञान हुआ। उपरोक्त निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 29.08.2016 को मांगी परन्तु निर्णय व डिक्री लिखित नहीं होने की वजह से इतने दिनों तक अपीलांटस को उपरोक्त निर्णय व डिक्री की नकलें नहीं मिली। करीबन दो ढाई महिनों के पश्चात दिनांक 07.11.2016 को नकले मिली। इस प्रकार नकले तैयार होने की अवधि को कम करते हुए यह अपील ज्ञान की तिथि से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। उतरदाता अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

DNJ 2009(1) Page 215
DNJ (CC) 2016 Page 62

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय बाड़मेर आगोर में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के संबंध में विक्रय–विलेख प्रभावी होने से क्षेत्राधिकार के बिंदु पर ही नियमित वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसंर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा ही पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली तलबी एवं जबाव के लिए विचाराधीन थी उसके बावजूद विधि से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई। कैम्प कोर्ट में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता हैं जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ हो। जबकि हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं था उसके बावजूद एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या. 115/2015 बअनवान धीरेन्द्र बनाम विरेन्द्र वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2016 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

4/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/3/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर